'सबका सम्मान-जीवन आसान' के तहत जिला पदाधिकारी के कार्यालय में 7 लोगों ने सुनाई फरियाद

डीएम ने कहा- जनता दरबार में आए मामलों का प्राथमिकता के आधार पर करें निष्पादन

भास्कर न्यूज़ | सासाराम

जिला पदाधिकारी, रोहतास उदिता सिंह द्वारा 'सबका सम्मान-जीवन आसान।' के तहत जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला जनता दरबार का आयोजन किया गया। उक्त जिला जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए कुल 7 व्यक्तियों द्वारा शिकायत पत्र दिया गया। इसमें आवेदक राहुल कुमार सिंह, पिता-हरिशंकर सिंह, ग्राम चवरी, पो. भाना कोचस द्वारा अनुकंपा के आधार पर जन वितरण (पीडीएस) दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पर कार्रवाई के लिए आवेदन पत्र दिया गया। इसे जांच कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास को निर्देशित किया गया। आवेदक अभिषेक कुमार, ग्राम- सोहसा, परसथुआ द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु जोखिम औचित्य प्रस्तुत करने के संबंध में आवेदन दिया गया। इसे निष्पादन के लिए जिला शस्त्र दंडाधिकारी, रोहतास को अग्रसारित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार में आए मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए।

लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे

जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनती डीएम

समय शिकायतों पत्रों का किया जाए निष्पादन

आवेदक राकेश कुमार सिन्हा एवं मुहल्ला गोपालगंज नियर टाईगर फील्ड, गौरक्षणी के अन्य लोगों द्वारा चार परिवारों के घर का मुख्य रास्ता बंद किए जाने के संबंध में आवेदन दिया गया। जिसे जांच कर अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार शेष सभी शिकायतों पत्रों को शीघ्र निष्पादन हेतु संबंधित कार्यालयों पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी हाल लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। शिकायतों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए ससमय निष्पादन किया जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे।

बिक्रमगंज : जनता दरबार में 43 मामलों की सुनवाई, निष्पादन का निर्देश

बिक्रमगंज सदर| भूमि सुधार उप समाहर्ता सन्तोष कुमार द्वारा सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में 'सबका सम्मान-जीवन आसान।' कार्यक्रम के तहत जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से आए आम नागरिकों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। जनता दरबार के दौरान कुल 43 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें भूमि विवाद से संबंधित 24 मामले, राशन कार्ड से जुड़े 13 मामले, तथा अन्य विभागों से संबंधित 6 मामले शामिल थे।

सुनवाई करते डीसीएलआर

फरियादियों ने अपनी-अपनी समस्याएं एवं शिकायतें विस्तार से अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कीं। भूमि सुधार उप समाहर्ता सन्तोष कुमार ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। डीसीएलआर सन्तोष कुमार ने बताया कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया। सभी मामलों की नियमानुसार जांच कर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कई आवेदकों को मौके पर ही आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

दुकान में चोरी करने घुसे 3 चोर गिरफ्तार

भास्कर न्यूज़ | अकोढ़ीगोला

स्थानीय चांदी रोड स्थित बिहारी किराना स्टोर के गोदाम में रविवार की देर रात चोरी कर रहे एक चोर को दुकानदार ने पकड़कर पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। पकड़े गए चोर की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी कर भागे दो चोरों को गिरफ्तार कर लिया।

थानाध्यक्ष राकेश गोसाईं ने बताया कि चांदी निवासी जितेन्द्र कुमार सिंह मुख्य बाजार स्थित अपनी किराना दुकान को रविवार की रात लगभग 9.30 बजे बंद कर गांव चला गया। लगभग दो घंटे बाद दुकान के बगलगीर ललन प्रसाद गुप्ता ने मोबाइल पर सूचना दी कि आपकी दुकान के गोदाम में कुछ लोग चोरी कर रहे हैं।

सूचना मिलते ही जितेन्द्र कुमार सिंह अपने भाई राधा बिहारी सिंह एवं भतीजा रितेश कुमार के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद ललन प्रसाद गुप्ता और लाला चौधरी के बताने पर वे गोदाम के दक्षिण दिशा की ओर गए। वहां एक व्यक्ति प्लास्टिक के दो बोरे में कुरकुरा भरकर बैठा मिला। उन्हें देखते ही वह व्यक्ति सामान छोड़कर भागने लगा। पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम पिन्टू राम, बाजार स्थित प्रदुम टोला निवासी, बताया। आरोपी को पकड़कर जब गोदाम लाया गया तो देखा गया कि गोदाम की करकट हटाकर भीतर से कुरकुरा के पैकेट चोरी किए गए थे। दुकानदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पकड़े गए चोर को हिरासत में लिया गया। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर चोर पिन्टू राम ने घटना में शामिल रहने वाले दोनों चोरों के पदुमटोला निवासी अमित कुमार व वेदप्रकाश होने की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने दोनों चोरों के घर पर छापेमारी कर दोनों को घर में ही दबोच लिया। गिरफ्तार चोर आए दिन बाजारों में छोटे-छोटे दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं।

विवाद स्थल से कट्टा उठा ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा

कोचस|थाना क्षेत्र के वेदवलिया गांव में नहर किनारे कच्ची सड़क विवाद को लेकर दो पक्षों में तनाव के बीच पहुंची पुलिस को एक पक्ष के लोगों ने देशी कट्टा उठाकर पुलिस को सौंपा। मामले की जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि उक्त गांव के धनजी पासवान के द्वारा उक्त कट्टा प्रस्तुत किया गया जिसे पुलिस अनुसंधान के दौरान विधिपूर्वक जब्त किया है। धनजी पासवान के लिखित बयान पर उक्त गांव के तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिक की दर्ज कराई गई है।

पेड़ से टकराई कार, सभी लोग बचे

भास्कर न्यूज़ | बिक्रमगंज

बिक्रमगंज-दिनारा मार्ग पर जामुन के पेड़ से तेज रफ्तार कार टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। हालांकि, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जाता है कि चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया। कार लहराते हुए सड़क के किनारे गई। सूखे जामुन के पेड़ से जोरदार तरीके से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। इसे सुनकर आस-पास के खेतों और गांवों के लोग सहम गए। वे तुरंत घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्पीड तेज थी। कार की रफ्तार और टक्कर के प्रभाव को देखते हुए यह हादसा बेहद गंभीर और जानलेवा हो सकता था। लेकिन ऐन वक्त पर कार की आधुनिक सुरक्षा तकनीक काम आई। टक्कर लगते ही कार में लगे सेफ्टी एयरबैग समय पर खुल गए। उन्होंने कार सवार लोगों के लिए सुरक्षा कवच का काम किया। एयरबैग की वजह से किसी को भी अंदरूनी या बाहरी चोट नहीं आई। दुर्घटना के तुरंत बाद कार में सवार सभी लोग बिना किसी बाहरी मदद के स्वयं ही दरवाजे खोलकर सुरक्षित बाहर निकल आए।

अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत

भास्कर न्यूज़ | नोखा

नोखा थाना क्षेत्र के आरा-सासाराम स्टेट हाइवे पर सतर विगहवा-खरांड़ी के समीप महज 8 घंटे के भीतर हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के तीन सदस्य समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सोमवार की सुबह सतर विगहवा गांव के समीप हुई। यहां एक ऑटो और पिकअप वाहन के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरी घटना में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। संझौली थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव निवासी लोग सासाराम रेलवे स्टेशन से ऑटो रिजर्व कर अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे पिकअप वाहन ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार दो लोग अंदर बुरी तरह फंस गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों, एंबुलेंस चालक पिंटू कुमार तथा पुलिस की मदद से राहत कार्य शुरू किया गया। फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए कटर मशीन मंगानी पड़ी। ऑटो को काटकर घायलों को निकाला गया।

घटना में उदयपुर निवासी सुशील कुमार और दुर्गा प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं चनकी गांव निवासी (मायका उदयपुर) सुनीता देवी तथा उनके पुत्र सचिन कुमार भी जख्मी हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नोखा ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सासाराम रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान सुशील कुमार की मौत हो गई। अन्य घायलों का इलाज जारी है।

दूसरी घटना रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि सतर विगहवा-खरांड़ी मार्ग पर हुई। राजपूर थाना क्षेत्र के मंगरौलिया गांव निवासी आफताब आलम बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात भारी वाहन की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

श्मशान के लिए आवंटित भूमि तक रास्ता नहीं

काराकाट| स्थानीय नगर पंचायत में गोड़ारी गांव के निकट श्मशान के लिए आवंटित भूमि तक रास्ता नहीं होना ग्रामीणों को खलने लगा है। रविवार को मृत्युपरांत संत पासवान का अंतिम संस्कार उनके स्वजनों ने वहीं किया। ग्रामीणों ने इस रास्ते के निर्माण के लिए मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद से लेकर वार्ड पार्षदों तक गुहार लगाई है। बड़क पासवान, अर्जुन कुमार, योगेंद्र प्रजापति, कन्हैया महतो, संतोष रजवार आदि ने कहा है कि श्मशान के लिए सीओ द्वारा जमीन उपलब्ध कराने से हमें स्वर्ग जैसी खुशी मिली, लेकिन वहां तक रास्ते का निर्माण नहीं होना उतना ही दर्द दे रहा है।

पटना से कैमूर जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री का किया गया स्वागत

विधायक वशिष्ठ सिंह व जिला पार्षद नीलम पटेल ने गुलदस्ता देकर पूर्व सीएम का स्वागत किया

भास्कर न्यूज़ | कोचस

पूर्व सीएम नीतीश कुमार की एक झलक पाने के लिए एनडीए कार्यकर्ताओं की भीड़ महात्मा गांधी चौक पर उमड़ी रही।

पूर्व मुख्यमंत्री के साथ चल रहे मंत्री अशोक चौधरी का विधायक वशिष्ठ सिंह, जिप सदस्य नीलम पटेल ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। कैमूर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अपने तय कांफिले के साथ निकल रहे थे। तभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें महात्मा गांधी चौक पर घेर लिया। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच कार्यकर्ताओं के आग्रह पर मुख्यमंत्री के वाहन को आधा मिनट के लिए रोका गया। जहां पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं मंत्री अशोक चौधरी ने स्थानीय लोगों, बुद्धिजीवियों एवं कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए एनडीए कार्यकर्ता उत्साहित रहे। भाजपा नेता मुन्ना मिश्रा, केशव साह, नरेंद्र जोशी, संतोष कुमार गुप्ता, मीडिया प्रवक्ता विकास मिश्रा, जदयू नेता प्रमोद पटेल, हरिहर सिंह, रामप्रवेश राम ने स्वागत किया। ट्रैफिक व्यवस्था के साथ-साथ विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एसडीपीओ-2 संजीव कुमार, थानाध्यक्ष नीतीश कुमार, प्रखंड विकास अधिकारी चंद्रभूषण प्रसाद, अंचल अधिकारी विनीत व्यास ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मुस्तैद रहे। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात रहा।

पूर्व सीएम का स्वागत करने उमड़ी भीड़।

कोचस से भगाई गई दो किशोरी हैदराबाद से मिली

कोचस | थाना क्षेत्र के एक गांव से भगाई गई दो नाबालिग हैदराबाद से बरामद हुईं। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव से कोचिंग पढ़ने जाने के दौरान दोनों नाबालिकों को सासाराम के एक युवक के द्वारा बहला फुसला कर जबरन शादी करने की नियत की धमकी देकर ले जाया गया था। हालांकि बिहारी वेशभूषा एवं बोलचाल की भाषा हैदराबाद स्टेशन पर इन नाबालिकों के लगने के बाद वहां की आरपीएफ ने इन्हें डिटेन करते हुए कोचस पुलिस से संपर्क कर नाम पता एवं परिचय शेयर किया।

संझौली थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग, डीआईजी से मिले

दबंगों के साथ मिलकर महादलितों को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप

भास्कर न्यूज़ | डेहरी सदर

शाहाबाद प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक डेहरी कार्यालय पर सोमवार को पहुंचे संझौली थाना क्षेत्र के महादलित समुदाय के दर्जनों महिला पुरुषों ने संझौली थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस बाबत डीआईजी को एक मांगपत्र भी सौंपा। महादलित समुदाय के लोगों ने बताया कि सामंती विचारधारा के दबंगों को बचाने में संझौली पुलिस लगी हुई है। उन्होंने तत्काल थानाध्यक्ष सहित महादलित महिला पुरुषों के साथ मारपीट में शामिल दोषियों एवं पुलिस कर्मियों को निलंबित करते न्याय की मांग किया। बताया कि रविवार को संझौली थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ तिलई गांव के मुसहर टोली में जाकर पुरुष और महिलाओं को बुरी तरह से पिटाई किए। लाठी और राइफल के कुंदे से भी मारपीट के कई महिलाओं पुरुषों को घायल कर दिया गया। यह बर्बर घटना इसलिए किया गया क्योंकि दो माह पहले तिलई गांव के दबंगों द्वारा महादलितों के पीएम आवास से बने पक्का आवास के मुख्य दरवाजा और टोला के निकासी रास्ता सहित गंदे पानी के निकासी रास्ता को ईंट की दीवार से बंद कर दिया गया था। महादलित समुदाय इसका विरोध करते हुए एससी-एसटी थाना में कांड दर्ज कराया था। उक्त प्राथमिकी को रद्द करने के लिए पीड़ित पर दबाव बनाया जा रहा था और धमकी दिया जा रहा था की समझौता नहीं करोगे तो किसी भी झूठा केस में फंसा कर जेल भिजवा देंगे।

डीआईजी कार्यालय पहुंचे महादलित महिला पुरुष

घर के सामने लगी बाइक चोरी, प्राथमिकी दर्ज

नासरीगंज| थाना क्षेत्र के डिहरी गांव से घर के सामने लगी काले रंग की हौंडा सीबी बाइक जिसका नम्बर बीआर 24 क्यू 8082 है, जिसको रविवार की रात उचक्कों ने उड़ा लिया। इस संबंध में उक्त गांव निवासी प्रमोद कुमार ने ज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। जिसमें उन्होंने कहा है कि गत रात्रि अपने घर के सामने उक्त बाइक लगा कर घर के अंदर गया। सुबह जब देखा तो बाइक गायब मिली। उन्होंने बताया कि उक्त बाइक उनकी नहीं थी गांव के ही गोपाल चौधरी से निजी कार्यों के निष्पादन के लिए मांगा

युवक ने खुद से शराब के साथ नगर थाने में किया आत्मसमर्पण

भास्कर न्यूज़ | सासाराम

नगर थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने स्वयं थाना पहुंचकर शराब के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान खिड़कीघाट निवासी विनोद सोनी का पुत्र पुनीत सोनी उर्फ गोलू सोनी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक पुनीत सोनी खुद ही नगर थाना पहुंचा और अपने पास मौजूद शराब के साथ पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। युवक के इस कदम से थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी भी कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित रह गए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके पास से बरामद शराब को जब्त कर लिया है। नगर थानाध्यक्ष के पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बरामद शराब की मात्रा और उसके स्रोत के संबंध में पूछताछ की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी शराब कहां से लेकर आया था और इसके पीछे कोई अन्य व्यक्ति या नेटवर्क तो नहीं जुड़ा है।

ऑटो-पिकअप की टक्कर में सुशील पटेल की मौत

भास्कर न्यूज़ | संझौली

उदयपुर गांव में ऑटो और पिकअप की भीषण टक्कर में 35 वर्षीय सुशील पटेल की मौके पर मौत हो गई। हादसा नोखा क्षेत्र के पास हुआसुशील अपनी बहन को सासाराम रेलवे स्टेशन से गांव ला रहे थे। परिवार को यह कार्यक्रम में शामिल होना था। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों को काफी नुकसान हुआ।

स्थानीय लोगों ने सुशील को वाहन से निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुशील पटेल, पिता सुलेंद्र चौधरी के दो बेटों में से एक थे। एक बेटे की पहले ही मौत हो चुकी थी। खबर मिलते ही परिवार रो-रोकर बेसुध हो गया। घर में पत्नी, एक बेटा, दो बेटियां हैं। सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पत्नी बार-बार बेहोश हो रही हैं। परिवार के सदस्य ने बताया कि सुशील घर से खुशी-खुशी निकले थे। बहन को साथ लेकर यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे। लौटते समय हादसा हो गया। उदयपुर गांव में शोक का माहौल है।

भारी मात्रा में महुआ शराब के साथ छह गिरफ्तार

दावथ| दावथ थाना क्षेत्र में दावथ कांव नदी पर बने पुल के समीप उसरी रास्ते में नदी के किनारे थानाध्यक्ष मनीष कुमार पंजियार ने पुलिस बल के जवानों के साथ छापेमारी की। महुआ शराब और निर्माण सामग्री जब्त की गई। वहां से छह तस्करों को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि उक्त स्थल पर छापेमारी के दौरान करीब 265 लीटर देसी महुआ शराब, 08 घरेलू गैस सिलेंडर, 02 दोपहिया गाड़ी, शराब बनाने के अन्य उपकरण जब्त किए गए।

दखल-कब्जा नहीं होने पर खारिज हो सकता है आवेदन

भास्कर न्यूज़ | सासाराम

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) आवेदन की अस्वीकृति रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भूमि पर शांतिपूर्ण दखल-कब्जा नहीं होने, भूमि विवाद या न्यायालय में मामला लंबित रहने जैसी स्थितियों में दाखिल-खारिज आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। इस संबंध में सासाराम के डीसीएलआर अशोक कुमार ने कहा कि दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। उन्होंने बताया कि भूमि खरीदने से पहले संबंधित जमीन की स्थिति, स्वामित्व, विवाद और न्यायालयीन मामलों की पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इससे बाद में होने वाली परेशानियों और आवेदन अस्वीकृति की संभावना काफी कम हो जाती है। डीसीएलआर ने कहा कि आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि खरीदी गई भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा हो। यदि भूमि विवादित है या किसी न्यायालय में विचाराधीन है, तो दाखिल-खारिज प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ऐसे मामलों में आवेदन अस्वीकृत होने की संभावना बढ़ जाती है।

उन्होंने लोगों से अपील की कि भूमि खरीदने से पहले विक्रेता से सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच करें तथा राजस्व अभिलेखों का अवलोकन अवश्य करें। साथ ही अपनी भूमि की सीमाओं का निर्धारण यथासंभव चहारदीवारी, स्तंभ या अन्य वैध माध्यमों से कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भूमि संबंधी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग का उद्देश्य है कि लोगों को भूमि संबंधी मामलों में आवश्यक परेशानी न हो और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके।

सांसद राजा राम सिंह ने केंद्र व राज्य सरकार पर साधा निशाना, रोजगार और किसानों के मुद्दे उठाए

कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण होना चाहिए बंद : सांसद

भास्कर न्यूज़ | सासाराम

काराकाट सांसद सह जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष राजा राम सिंह ने सोमवार को सासाराम स्थित गीताघाट कॉलोनी में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र और बिहार सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक प्रकरण से यह प्रतीत होता है कि युवाओं के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा है। करोड़ों छात्र वर्षों तक मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके सपनों को तोड़ देती हैं। यह उन्हें मानसिक रूप से हतोत्साहित करती हैं। सांसद ने कहा कि देश में कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण बंद होना चाहिए। इससे किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है। उन्होंने विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। राजा राम सिंह ने रोहतास जिले की जीवनरेखा मानी जाने वाली सोन नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान जिलों में आने वाले दशकों तक सिंचाई व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीण गरीबों और मजदूरों के हित में वीबी जी राम जी योजना के तहत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने सरकारी मजदूरी दर बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करने की भी मांग की। काराकाट लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे अभिनेता पवन सिंह के भाजपा से जुड़ाव के सवाल पर सांसद ने कहा कि जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े थे, तब उन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त था। अब यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो रही है। प्रेस वार्ता में मुन्ना महतो, पिंटू कुमार, नरेंद्र सिंह, अनिल सिंह, अजय सिंह, सुनील सिंह, कवि संहिता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित थे।

प्रेस वार्ता करते सांसद

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !
सर्कल ऑफिस, ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार – 824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना
एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने कब्जा की सच्चाई के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित लिंक पर "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित कम्पनियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A [नियम 9 (1) का प्रावधान देखें] (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरेफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरेफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	(क) प्रारक्षित मूल्य (लाख रुपये में) (ख) ईएमडी (ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1	शाखा:करगहर (235300) खाता संख्या 2353008700001777 एवं 235300SG000000164 मेसर्स दीपक मिनी राइस मिल, प्रोप-श्रीमती कलावती देवी पति श्री हरेंद्र सिंह श्रीमती कलावती देवी पति श्री हरेन्द्र सिंह श्री राम निवास सिंह पिता स्वर्गीय राम जनम सिंह श्री दीनानाथ सिंह पिता स्वर्गीय राम जनम सिंह गेना कुँवर पति स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह श्री हरेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह श्री नरेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह श्री देवेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह सभी निवासी-नीमडीहरा, पोस्ट-थाना-करगहर, जिला-रोहतास, बिहार-821107	अचल संपत्ति स्थित है: मौजा-नीमडीहरा, थाना संख्या-82, रेव थाना करगहर, जिला-रोहतास, खाता संख्या-49, प्लॉट संख्या-1080, क्षेत्रफल-11 डिसमिल, पंजीकृत बंधक विलेख संख्या 2182 दिनांक 15.02.2016 1.श्री राम निवास सिंह पिता स्वर्गीय राम जनम सिंह 2. श्री दीनानाथ सिंह पिता स्वर्गीय राम जनम सिंह 3. मो. गेना कुँवर पति स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह 4. श्री हरेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह 5.श्री नरेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह 6.श्री देवेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह चौहद्दी: उत्तर- छविनाथ सिंह, दक्षिण- दया शंकर सिंह, पूर्व- बलिराम सिंह, पश्चिम- सड़क	क) 25.05.2023 ख) रु.25,40,230.57 + अतिरिक्त ब्याज ग) 02.08.2023 घ) सांकेतिक	क) रु. 34,39,750.00/- ख) रु. 3,42,975/- ग) रु. 25,000/-	दिनांक 23.06.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अर्थोहस्तांतरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 23.06.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना (विज्ञापन की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा) प्राधिकृत अधिकारी